

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
मुकदमा नंबर 107 / 2022

उनवान भूराराम बनाम फूसाराम वगै.

निर्णय दिनांक 30.03.2026

नंबर व तारीख
अदकाम जो इस
हुकम की तारीख में
जारी हुए

30.03.2026

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस विमाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 11 तादादी 15.11 हेक्टेयर वाकेरोही सोनियासर गोदारान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी एवं प्रतिवादी का खाता विमाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

प्रस्तावित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म
फूसाराम पुत्र गणेशराम जाति जाट सा. देह	11 उत्तरी	7.5550	बारानी
भूराराम पुत्र गणेशराम जाति जाट सा. देह	11 दक्षिणी	7.5550	बारानी

तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में फूसाराम एवं भूराराम के हिस्से में दर्शाया गये प्रचलित रास्ते को 15 फुट चौड़ा गैर मुमकिन रास्ता लाल स्याही से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। अन्तिम डिक्री जारी हों। पत्रावली वाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हों।



(शुभम शर्मा)
उपस्थित अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)



अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूंगरगढ़
पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

भूराराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी ग्राम सोनियासर गोदारान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला वीकानेर।

1. फूसाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी ग्राम सोनियासर गोदारान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला वीकानेर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़, जिला वीकानेर 3. प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ जिला वीकानेर।

मुकदमा नम्बर 107/2022

दावा बाबत: खाता विभाजन, चिरनिषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक: 30.03.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रुबरु अदालत बहाजरी श्री मांगीलाल नैण अधिवक्ता मिनजानिव मुदई व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजूराम जाखड़, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम दर्जी एवं स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिव मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 11 तादादी 15.11 हैक्टयर वाकेरोही सोनियासर गोदारान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी एवं प्रतिवादी का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

प्रस्तावित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टयर में)	किस्म
फूसाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट सा. देह	11 उत्तरी	7.5550	बारानी
भूराराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट सा. देह	11 दक्षिणी	7.5550	बारानी

तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में फूसाराम एवं भूराराम के हिस्से में दर्शाया गये प्रचलित रास्ते को 15 फुट चौड़ा गैर मुमकिन रास्ता लाल स्याही से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार, श्री डूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।
लीज.....0.....मुबलिंग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..... तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 30 माह 03 सन् 2026 को जारी किया गया।



(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (वीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी		
	रुपया	रुपया	
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रुपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (वीकानेर)